



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1357]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 14, 2011/आषाढ़ 23, 1933

No. 1357]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 14, 2011/ASADHA 23, 1933

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2011

का.आ. 1626(अ).—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1422 जो कि भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) की तारीख 20 मई, 1978 में प्रकाशित की गयी थी को उन बातों के सिवाय, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया था या करने का लोप किया गया था, विखंडन करती है।

[फ. सं. 2/69/2010-निर्यात निरीक्षण]

डी. एस. डेसी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th July, 2011

S.O. 1626(E).—In exercise of the powers conferred by Section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in erstwhile Ministry of Commerce, number S.O. 1422, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 20th May, 1978, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. 2/69/2010-Export Inspection]

D. S. DHESI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2011

का.आ. 1627(अ).—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, फल उत्पादों का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1978 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम फल उत्पाद निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) संशोधन नियम, 2011 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. फल उत्पाद निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1978 में इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है के नियम 2 में

(क) खंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

(ii) "अभिकरण" से अधिनियम की धारा 7 को उप-धारा (i) के अधीन स्थापित निर्यात निरीक्षण अभिकरण अभिप्रेत है,

(iiक) "परिषद्" से अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित निर्यात निरीक्षण परिषद् अभिप्रेत है,

(iiख) "स्थापना" से ऐसा परिसर या इकाई जहाँ फल उत्पादों को तैयार प्रसंस्कृत परिरक्षित, पैक या भंडार किए जाते हैं, अभिप्रेत है;'

(ख) खंड (iv) का लोप किया जाएगा।

3. मूल नियम के नियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“4. निरीक्षण की प्रक्रिया :—(1) निर्यातकर्ता जो फल उत्पाद के निर्यात का आशय रखता है,

(क) वे प्रस्थापनाएँ जहाँ फल उत्पादों को खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली पर आधारित निरीक्षण प्रणाली उप-नियम (2) के अधीन तैयार प्रसंस्कृत किया जाता है वर्गीकृत अनुमोदन हेतु आवेदन करेंगी, या (ख) परेषणावार निरीक्षण के लिए विनिर्दिष्ट उप-नियम (3) का अनुपालन करेगा।

(2) (क) के उप-नियम (1) के खंड (क) के अधीन ऐसा कोई निर्यातक जो फल उत्पादों के निरीक्षण का निर्यात करने का आशय रखता है, अभिकरण के नजदीकी कार्यालय को अनुमोदन के लिए लिखित में आवेदन करेगा।

(ख) यह निर्यातक का प्राथमिक दायित्व होगा कि वह स्थापना जिसके लिए खंड (क) के अंतर्गत आवेदन किया गया है, सुनिश्चित करें कि निर्यात के लिए इच्छुक फल उत्पाद, उत्पादन, भंडारण और परिवहन के सभी चरणों में अच्छी उत्पादन प्रणालियों से, अच्छी स्वास्थ्य कर प्रथाओं के अनुसार तैयार संसाधित और संरक्षित किए जावे, और भोज्य उत्पाद जिनका निर्यात होना है वे अधिनियम की धारा 6 के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मापदण्डों के अनुरूप हो, साथ ही अनुपालन करते हों उन अन्य सभी प्रतिबंधताओं (निषेधों) के जो केन्द्र सरकार या जैसा मामला हो राज्य सरकार द्वारा वाणिज्यिक, पर्यावरण संबंधी या संरक्षणात्मक उपायों के रूप में समय-समय पर लगाए गए हों।

(ग) परिषद् द्वारा अधिकथित तरीके से निरीक्षण और परीक्षण के आधार पर अपनी संतुष्टि होने पर कि स्थापना उसमें होने वाले कार्य-कलापों के मामले में अपेक्षाओं की पूर्ति करता है, अभिकरण ऐसे स्थापनाओं को अनुमोदन प्रदान करेगी।

परन्तु यदि स्थापनाएँ ऐसे कार्यों को करने का विनिश्चय करती हैं जो उसे प्राप्त अनुमोदन से भिन्न है, जिनके लिए उक्त प्रयोजन के लिए विशिष्ट अनुमोदन अभिकरण द्वारा दिया गया है।

परन्तु यह है कि यदि अभिकरण का समाधान नहीं होता है तो उक्त स्थापना को दिए गए अनुमोदन को रद्द कर सकता है और उसकी सूचना निरीक्षण की तारीख से 10 दिनों की अवधि के भीतर लिखित में उसके कारणों को बताते हुए स्थापना देगा।

(घ) उप-नियम के अधीन अनुमोदित स्थापनाओं को अभिकरण सुनिश्चित करेगी कि अनुमोदित स्थापना नियमित रूप से स्थापन का निरीक्षण और मानीटरिंग किया जाएगा जो सभी समय स्थापना के सभी भागों और उन अभिलेखों तक पहुंच रखेगा

जो उत्पादन, भण्डारण और परिवहन के सभी प्रक्रमों के दौरान स्थापना द्वारा स्वच्छतापूर्वक रख-रखावे और प्रसंस्करण के नियंत्रण किए जाने के प्रयोग से संबंधित है।

(ङ) यदि अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं होती है तो अभिकरण आवश्यक उपाय करेगा।

(च) जिसके पास प्रत्येक पदीय संख्या है ऐसे अनुमोदित स्थापनों की सूची परिषद् द्वारा बनाई जाएगी।

(3) (क) उप-नियम (1) के खंड (ख) के अधीन ऐसा कोई निर्यातक जो फल उत्पादों के परेषणावार निरीक्षण का निर्यात करने का आशय रखता है, अभिकरण के नजदीकी कार्यालय को अनुमोदन के लिए लिखित में आवेदन करेगा।

(ख) खंड (क) के अधीन दी जाने वाली प्रत्येक सूचना

(i) ऐसे मामलों में जहाँ स्थापना उसी स्टेशन पर अवस्थित है जहाँ अभिकरण का कार्यालय अवस्थित है, निरीक्षण से कम से कम तीन दिनों पूर्व कार्यान्वित करना, और

(ii) ऐसे मामलों में जहाँ स्थापना उस स्टेशन पर अवस्थित नहीं है, जहाँ अभिकरण का कार्यालय अवस्थित है, निरीक्षण से कम से कम 7 दिन पूर्व कार्यान्वित किया जाएगा।

(ग) खंड (क) के अधीन सूचना प्राप्त होने पर अभिकरण आशयित फल उत्पादों के परेषण का निरीक्षण उसके नमूने लेकर उनका निरीक्षण और परीक्षण करेगा।

(घ) परिषद् द्वारा उठाए गए (नमूनों) के निरीक्षण और परीक्षण के आधार पर फल उत्पादों का परेषण संबंधी मान्य मानक मापदंडों पर पूरा उतरता है, इसके बारे में अभिकरण अपनी संतुष्टि होने पर उन फल उत्पादों के परेषण की निर्यात अनुरूपता घोषित करने का प्रमाणपत्र जारी करेगी।

परन्तु कि यदि अभिकरण समाधान नहीं होती है तो निरीक्षण के दस दिनों की अवधि में निर्यातक को प्रमाण-पत्र जारी करने से इन्कार करने की कारणों सहित लिखित में सूचित करेगी।”

(4) मूल नियम 5 में उप-नियम (1) के लिए निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(1) इस नियम के अधीन निरीक्षण निर्यातक के परिसर में किया जाएगा और स्थापना एवं निर्यातक यह सुनिश्चित करेगा कि इन नियमों के अधीन सारी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी।”

5. मूल नियम 6 में “अनुराप्ति धारक” शब्द निर्यातकर्ता और प्रतिष्ठान बदला जाएगा।

6. मूल नियम 6 के पश्चात् निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

- “6क फीस—(1) खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली पर आधारित निरीक्षण प्रणाली पर आधारित अनुमोदित स्थापनाओं के संदर्भ में,
- (i) नियम 5 के उप-नियम (2) खंड (2) के अंतर्गत आवेदन के साथ रु. 5000 का संदाय फीस के रूप में किया जाएगा, और
- (ii) फल उत्पाद के प्रत्येक परेषण के लिए 0.2 प्रतिशत की दर से एफ ओ बी मूल्य की दर से शुल्क संदत्त किया जाएगा।
2. परेषणावार निरीक्षण के मामले में 0.4 प्रतिशत एफओबी मूल्य की दर से न्यूनतम रु. 500 शुल्क का संदाय के लिए अभिकरण को फल उत्पादों के परेषण के लिए किया जाएगा।
3. प्रत्येक परेषण के लिए संदेय फीस की रकम को रूपए के निकटतम तक पूर्णांकित किया जाएगा और इस प्रयोजन के लिए जहाँ ऐसी राशि में रुपये का भाग सम्मिलित है वहाँ यदि ऐसा भाग 50 पैसे या अधिक है तो इसमें एक रुपये की वृद्धि कर दी जाएगी और यदि ऐसा भाग 50 पैसे से कम है तो इसे छोड़ दिया जाएगा।”

7. मूल नियमों के नियम 7 के उप-नियम (1) के लिए शब्दों, कोष्ठकों और अंकों “निरीक्षण प्रमाणपत्र उप-नियम (6) के अधीन जारी” शब्दों, कोष्ठकों, अक्षरों और अंकों “खंड ग के उप-नियम (2) के अनुसार प्रस्थापना का अनुमोदन या यथास्थिति खंड (घ) के उप-नियम (3) के अधीन जारी प्रमाण-पत्र” रखे जाएंगे।

[फा. सं. 2/69/2010—निर्यात निरीक्षण]

डी. एस. डेसी, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) की अधिसूचना सं. का.आ. 1421 तारीख 20 मई, 1978 में प्रकाशित किए गए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th July, 2011

S.O. 1627(E).—In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Export of Fruit Products (Quality Control and Inspection) Rules, 1978, namely :—

1. (1) These rules may be called the Export of Fruit Products (Quality Control and Inspection) Amendment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Export of Fruit Products (Quality Control and Inspection) Rules, 1978 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 2,—

(a) for clause (ii), the following clause shall be inserted, namely :—

“(ii) “Agency” means the Export Inspection Agency established under sub-section (1) of Section 7 of the Act;

(iii) “Council” means the Export Inspection Council established under Section 3 of the Act;

(iii) “establishment” means any premises or unit where fruit products are prepared, processed, preserved, packaged or stored;”;

(b) clause (iv) shall be omitted.

3. For rule 4 of the principal rules, the following rule shall be substituted, namely :—

“4. Procedure for Inspection.—(1) An exporter intending to export Fruit Products may,—

(a) apply for the approval of its establishment where the intended fruit products are prepared or processed as per Food Safety Management System based Inspection system specified under sub-rule (2); or

(b) follow the consignment-wise inspection specified under sub-rule (3).

(2) (a) The exporter covered under clause (a) of sub-rule (1), intending to export Fruit Products shall apply in writing to the nearest office of the Agency for approval of its establishment including their facility to process Fruit Products for exports;

(b) It shall be the primary responsibility of the exporter that the establishment for which the application under clause (a) has been made, ensures that the Fruit Products intended for export is prepared, processed and preserved at all stages of production, storage, and transport based on good manufacturing practices and good hygiene practices and the food products intended to export conforms to the standard specification recognised by the Central Government under Section 6 of the Act and any other restrictions imposed by the Central Government or, as the case may be, the State Government in respect to commercial, environmental or conservation measures, from time to time;

(c) The Agency shall, on satisfying itself on the basis of inspection and such testing carried out in the manner laid down by the Council, that the establishment meets the requirements with regard to nature of activities carried out, accord approval to such establishment :
Provided that if the establishment decides to carry out activities other than those for which it has received approval, specific approval from the Agency shall be obtained for that purpose :
Provided further that if the Agency is not satisfied, it shall refuse to grant the approval

- to the establishment and communicate such refusal in writing within a period of ten days from the date of inspection to the establishment alongwith the reasons therefor;
- (d) The Agency shall ensure that the establishments approved under this sub-rule, continue to comply with the requirements by regular inspection and monitoring of the establishments for which the Agency shall at all times have free access to all parts of the establishments and records pertaining to the control exercised by the establishment for hygienic handling and processing of food products during all stages of production, storage and transport;
- (e) The Agency shall take necessary measures if the requirements cease to be met;
- (f) The Council shall maintain the list of all approved establishments, each of which shall have an official number.
3. (a) An exporter covered under clause (b) of sub-rule (1) intending to export Fruit Products shall give intimation in writing to the nearest office of the Agency to carry out the consignment-wise inspection.
- (b) Every intimation under clause (a) shall be given—
- (i) not less than three days before the inspection is to be carried out at the establishment situated at the same station where the office of the Agency is located; and
- (ii) not less than seven days before the inspection is to be carried out at the establishment which is not situated at the same station where the office of the Agency is located.
- (c) On receipt of the intimation referred to clause (a), the Agency shall inspect the consignments of fruit products meant for export by drawing samples for inspection and testing;
- (d) The Agency on satisfying itself that the consignment of the fruit products conforms to the standard specifications recognized for the purpose on the basis of inspection and testing carried out in the manner laid down by the Council, shall issue the certificate declaring such consignment of the fruit products is exportworthy :

Provided that if the Agency is not satisfied, it shall refuse to issue the certificate to the exporter and communicate such refusal in writing within a period of ten days from the date of inspection alongwith the reasons therefor."

4. In rule 5 of the principal rules, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(1) Inspection for the purpose of these rules shall be carried out at any premises of the exporter and the establishment approved under these rules and the exporter shall ensure that adequate facilities for the purpose exist therein."

5. In rule 6 of the principal rules, for the words "licence holder" the words "exporter or establishment" shall be substituted.

6. After the rule 6 of the principal rules, the following rules shall be inserted, namely:—

"6. A. Fee.—(1) In the case of approval of establishment for Food Safety Management System based Inspection,—

- (i) a fee of five thousand rupees shall be paid to the Agency alongwith the application made under clause (a) of sub-rule (2) of rule 5; and
- (ii) a fee at the rate of 0.2% of the freight on board value shall be paid subject to a minimum of five hundred rupees per consignment of the fruit products to the Agency.
- (2) In the case of inspection for Consignment-wise Inspection a fee at the rate of 0.4% of the freight on board value shall be paid subject to a minimum of five hundred rupees per consignment of fruit products to the Agency.

- (3) The amount of fee for each consignment under these rules shall be rounded off to the nearest rupee and, for this purpose, where such amount contains a part of a rupee, then, if such a part is fifty paise or more, it shall be increased to one rupee and, if such part is less than fifty paise, it shall be ignored."

7. In rule 7 of the principal rules, in sub-rule (1), for the words, brackets and figure "issue an inspection certificate under sub-rule (6)" the words, brackets, letters and figures "grant an approval to establishment under clause (c) of sub-rule (2) or, as the case may be, the issue of certificate under clause (d) of sub-rule (3)" shall be substituted.

[F. No. 2/69/2010-Export Inspection]

D. S. DHESI, Jt. Secy.

Note.—The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* notification number S.O. 1421, dated the 20th May, 1978.

EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA, PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (II)

Appearing on Page 1387-1390

Dated : 20-5-78

बाणिज्य संचालक

MINISTRY OF COMMERCE

आदेश

नई दिल्ली, 13 मई, 1978

क्र० आ० 1420—भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए फल उत्पादों को निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन करने के लिए कठिण प्रस्ताव, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 11 के उप-नियम (2) की धपेक्षानुसार, भारत सरकार के बाणिज्य मंत्रालय के आदेश संख्या क्र० आ० 1267, तारीख 30 अप्रैल, 1977 के अधीन भारत के राजपत्र भाग-2, खंड 3, उप-खंड (ii) तारीख 30 अप्रैल 1977 प्रकाशित किए गए थे ;

और उन व्यक्तियों से जिनका उससे प्रभावित होना संभाव्यतः था 15 जून, 1977 तक प्राक्षेप तथा सुझाव मांगे गए थे ;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 2 मई, 1977 को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और उक्त प्राक्षेप पर जनता से प्राप्त प्राक्षेपों तथा सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है ;

अतः, अब, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार को निर्यात निरीक्षण परिषद में परामर्श करने के लिए, यह राय है कि भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए ऐसा फल उत्पादों का प्रावश्यक तथा समीचीन है, और वह एतद्द्वारा—

- (1) अधिसूचित करती है कि फल उत्पाद निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन होंगे ;
- (2) फल उत्पादों का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1978 के अनुसार क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के प्रकार को, निरीक्षण के ऐसे प्रकार के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, जो निर्यात से पूर्व ऐसे फलों के उत्पादों पर लागू होगा ;
- (3) (i) फ्रेता तथा विक्रेता के बीच करार पाए गए विनिर्देशों को मान्यता देती है कि यह आयात करने वाले देश को खाद्य विधियों के अनुरूप हों तथा निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अधि-करण द्वारा सम्यक्तः अनुमोदित किए गए हों ;
- (ii) खंड (i) में विनिर्दिष्ट विनिर्देशों को अनुपस्थिति में, तमय समय पर क्या संबंधित फल उत्पाद आदेश, 1955 में विनिर्दिष्ट विनिर्देशों को मान्यता देती है ;

भारतीय व्यापार के दौरान उक्त फल उत्पादों के निर्यात को तब तक प्रतिषेध करती है जब तक कि निर्यात के लिए आवश्यक प्रत्येक परीक्षण के साथ उप-धारा (3) के खंड (i) में विनिर्दिष्ट अधिकरण द्वारा जारी किया गया निर्यात प्रमाणपत्र उपलब्ध न हो।

2. इन आदेश की कोई भी बात भावी फ्रेताओं को भूमि, समुद्र या वायुमार्ग द्वारा किए गए फल उत्पादों के नमूनों के निर्यात पर लागू नहीं होगी परन्तु यह तब तक जब कि ऐसे नमूनों का मुख्य पोटलेंसियल निर्यात के एक या दो रूपों से अधिक नहीं है।

3. इस आदेश में "फल उत्पादों" से अभिप्रेत है,—
 1. कृत्रिम पेय, सिरप और शरबत ;
 2. सिरका चाहे तैयार किया हुआ हो या कृत्रिम ;
 3. धार ;
 4. निर्जलित फल तथा सब्जियां ;
 5. स्कवेश, कृषा, काडियल, जो का पानी, बेरल रस तथा तुरन्त उपयोग योग्य फलों के रस या फलों के गूदे वाले अन्य पेय ;
 6. जैम, जेली तथा मुरब्बे ;
 7. टमाटर उत्पाद, चटनी तथा सॉस ;
 8. परिष्कृत, पैक किए हुए और क्रिस्टल किए हुए फल तथा छिलके ;
 9. चटनियां ;
 10. डिब्बे तथा बोतल में बंद फल, रस तथा गूदा ;
 11. डिब्बे तथा बोतल में बंद सब्जियां ;
 12. प्रशीतित फल तथा सब्जियां ;
 13. फलों के रस तथा गूदे वाला वातित जेल ;
 14. फल भ्रम फर्नेन्स ; तथा
 15. फल तथा सब्जियों से संबंधित विनिर्दिष्ट कोई अन्य वस्तुएं ;
- यह आदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

[सं० 6/2/77-नि० नि० तथा नि० ऊ०]

ORDER

New Delhi, the 13th May, 1978.

S.O. 1420.—Whereas for the development of the export trade of India, certain proposals for subjecting fruit products to Quality Control and Inspection prior to export were published as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964 in the Gazette of India, Part II, section 3, sub-section (ii) dated the 30th April, 1977 under the order of the Government of India in the Ministry of Commerce No. S.O. 1267 dated the 30th April, 1977 ;

And whereas objections and suggestions were invited till the 15th June, 1977 from all persons likely to be affected thereby ;

And whereas copies of the said Gazette were made available to the public on the 2nd May, 1977 ;

And whereas the objections and suggestions received from the public on the said draft have been considered by the central Government.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) the Central Government after consulting the Export Inspection Council being of opinion that it is necessary and expedient so to do for the development of the export trade of India, hereby—

- (1) Notifies that fruit products shall be subject to quality Control and Inspection prior to export ;

(2) Specifies the types of Quality Control and Inspection in accordance with the Export of Fruit Products (Quality Control and Inspection) Rules, 1978 as the type of inspection, which shall be applied to such fruit products prior to export;

(3) recognises—

(i) the specifications agreed to between the buyer and the seller provided these conform to the Food laws of the importing country and are duly approved by the agency recognised the Central Government under (article 7) of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963);

(ii) in the absence of the specification referred to in clause (1) the specification prescribed in the Fruit Products Order, 1955, as amended, from 'time to time';

(4) Prohibits the export in the course of international trade of the said fruit products unless each and every consignment of the same meant for export is accompanied by a certificate of export worthiness issued by the agency referred to in clause (i) of sub-paragraph (3).

2. Nothing in this order shall apply to the export of samples of the fruit products to the prospective buyers by land, sea or air provided the value of such samples does not exceed in f.o.b. value of rupees one hundred.

3. In this order 'Fruit products' means —

1. Synthetic beverages, syrups and sharbats;

2. Vinegar, whether brewed or synthetic;

3. Pickles;

4. Dehydrated fruits and vegetables;

5. Squashes, crushes, cordials, barley water, bottled juice and ready-to-serve beverage, fruit nector or any other beverages containing fruit juices or fruit pulp;

6. Jams, Jellies and marmalades;

7. Tomato products, ketchup and sauce;

8. Preserved, candied and crystallised fruits and peels;

9. Chutneys;

10. Canned and bottled fruits, juices and pulp;

11. Canned and bottled vegetable;

12. Frozen fruits and vegetables;

13. Aerated waters containing fruit juice and pulp;

14. Fruit cereal flakes; and

15. Any other unspecified items relating to fruits or vegetables.

4. This order shall come into force on the date of its publication in the official gazette.

(No. 6/2/77-EI&EP)

क्र० अ० 1421.—केन्द्रीय सरकार निर्यात (स्वास्तिती नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, प्रस्तातः—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम फल उत्पादों का निर्यात (स्वास्तिती नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1978 है।

(2) ये उपपत्र में प्रकाशित की तिथि को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा प्रपक्षित न हो—

(i) 'अधिनियम' से निर्यात (स्वास्तिती नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) अभिप्रेत है;

(ii) 'अधिकरण' से रुषि तथा सिचार्ड मंत्रालय (खाद्य विभाग) में फल तथा सब्जी के परिदक्षण निदेशक का कार्यालय अभिप्रेत है जो अधिनियम की धारा 7 के अधीन अधिकरण के रूप में गण्यता प्राप्त है;

(iii) 'फल उत्पाद' से अभिप्रेत है,—

1. कृत्रिम पेय, सिरप और शरबत;

2. सिरका चाहे तैयार किया हुआ हो या कृत्रिम;

3. अचार;

4. निर्जलित फल तथा सब्जियां;

5. लवंग, फल, काडियल, लो का पानी, बैल रस तथा तुरन्त उपयोग योग्य फलों के रस या फलों के गूदे वाले अन्य पेय;

6. जैम, जेली तथा मुरब्बे;

7. टमाटर उत्पाद, अटनी तथा सॉस;

8. परिदक्षित, पैक किए हुए और क्रिस्टल किए हुए फल तथा छिलके;

9. चटनियां;

10. डिब्बे तथा बोतल में बंद फल, रस तथा गूदा;

11. डिब्बे तथा बोतल में बंद सब्जियां;

12. प्रशीतित फल तथा सब्जियां;

13. फलों के रस तथा गूदे वाले शीतल जल;

14. फल तथा सब्जियों के संयोजित अधिनियम को

अन्य वस्तुएं

(iv) 'अनुज्ञप्ति धारक' से ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का निर्यात अभिप्रेत है जिसे फल उत्पाद आदेश, 1955 के अधीन अनुज्ञप्ति दी गई है।

3. निरीक्षण का आधार—फल उत्पादों का निरीक्षण यह देखने की दृष्टि से किया जाएगा कि वह अधिनियम की धारा 6 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्य मानक विनिर्देशों के अनुरूप है।

4. निरीक्षण की प्रक्रिया—(1) निर्यात के लिए बनाए गए फल उत्पाद केवल अनुज्ञप्ति धारक द्वारा प्रसंस्कृत तथा पैक किए जाएंगे।

(2) फल उत्पादों के निर्यात करने का इच्छुक अनुज्ञप्ति धारक, अधिकरण के निकटतम कार्यालय को लिखित रूप में सूचना देगा ताकि वह उस का निरीक्षण कर सके तथा नियम 3 के अनुसार विश्लेषण के लिए नमूने ले सके।

(3) अधिकरण के कार्यालयों के पते निम्नलिखित हैं—

(i) फल तथा सब्जी परिदक्षण उप-निदेशक का कार्यालय, जामनगर हाऊस, प्लॉक नं० 11, लई दिल्ली।

(ii) फल तथा सब्जी परिदक्षण, उप-निदेशक का कार्यालय, तीसरी मंजिल, न्यू मैट्रोन बिल्डिंग, मुम्बई।

(iii) फल तथा सब्जी परिदक्षण, उप-निदेशक का कार्यालय, 8, एस्पेजेनेस (पूर्व) फ्लोर, 69।

(iv) फल तथा सब्जी परिदक्षण, उप-निदेशक का कार्यालय, शास्त्री भवन, जामनगर हाऊस, प्लॉक नं० 11, लई दिल्ली।

(4) उप-नियम (2) के अधीन प्रत्येक सूचना—

(क) अभिकरण के किसी भी कार्यालय के मुख्यालय पर, विश्लेषण के लिए, नमूने लिए जाने से कम से कम तीन दिन पूर्व दी जाएगी।

(ख) उन स्थानों पर जो अभिकरण के किसी भी कार्यालय के मुख्यालय पर स्थित नहीं हैं, विश्लेषण के लिए नमूने लिये जाने से कम से कम दस दिन पूर्व दी जाएगी।

(5) उप-नियम (4) में निर्दिष्ट सूचना के प्राप्त होने पर अभिकरण फल उत्पादों के परेषणों का निरीक्षण यह जांच करने की दृष्टि से करेगा कि वे नियम 3 में निर्दिष्ट मान्य विनिर्देशों की प्रपेक्षाओं के अनुरूप हैं।

(6) यदि अभिकरण का यह निष्कर्ष हो कि परेषण विहित विनिर्देशों के अनुरूप हैं तो वह उप-नियम (4) के अधीन निरीक्षण के लिए दिए गए परेषणों के लिए निरीक्षण प्रमाण-पत्र जारी करेगा।

परन्तु यदि अभिकरण का इस प्रकार समाधान नहीं होता है तो वह निरीक्षण प्रमाण-पत्र देने से इंकार कर देगा तथा निरीक्षण के लिए सूचना प्राप्त होने की तारीख से दस दिन के भीतर अनुज्ञप्ति धारक को उसके कारणों सहित लिखित रूप में उस तथ्य की सूचना देगा।

5. निरीक्षण के स्थान:—(1) इन नियमों के प्रयोजनामों के लिए निरीक्षण अनुज्ञप्ति धारक के प्राधिकृत परिसर पर या अनुज्ञप्ति धारक के अनुमोदित भंडारगृह या गोदाम में किया जाएगा।

(2) उत्पाद की नमूना जांच निर्यात से पूर्व किसी भी प्रकारण पर की जा सकती है।

6. परीक्षण या जांच नमूने की पुनः परीक्षा:—यदि अनुज्ञप्ति धारक का अभिकरण द्वारा की गई परीक्षा के परिणामों से समाधान नहीं होता है तो वह अभिकरण से परेषण की पुनः परीक्षण के प्रबंध के लिए निश्चित निवेदन करने का हुकूमत होगा तथा उसके पश्चात् एक और परीक्षण नमूना या जांच नमूना लिया जाएगा और परीक्षण किया जाएगा।

(2) उप-नियम (1) के अधीन विश्लेषण का परिणाम पहले वाले नमूनों के परिणामों के साथ विनिश्चित किया जाएगा और परेषण की वांछित निश्चित करने के लिए प्रोसत परिणाम निकाला जाएगा।

7. प्रयोग:—(1) नियम 4 के उप-नियम (6) के अधीन अभिकरण द्वारा प्रमाण-पत्र देने से इंकार किए जाने से व्यक्ति कोई व्यक्ति, नतीके द्वारा ऐसे इंकार की सूचना प्राप्त होने के दस दिन के भीतर इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा उस प्रयोजन के लिए नियुक्त विशेषज्ञों के पैनल को, जिससे कम से कम, तीन और अधिक से अधिक मत व्यक्त होंगे, प्रेषित करेगा।

(2) विशेषज्ञों के पैनल की कुल सदस्य संख्या के कम से कम दो-तिहाई अभासकीय व्यक्ति सदस्य होंगे।

(3) पैनल की गणपूर्ति तीन की होगी।

(4) प्रेषित, उसकी प्राप्ति से पंद्रह दिन के भीतर निपटाई जाएगी।

[सं० 6/2/77-नि० नि० तथा नि० उ०]

(S.O. 1421).—In exercise of the powers conferred by section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Export of Fruit Products (Quality Control and Inspection) Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires (i) 'Act' means the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963);

(ii) 'Agency' means the office of the Director of Fruit and Vegetables Preservation in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Deptt. of Food) recognised as Agency under section 7 of the Act.

(iii) 'Fruit Products' means —

1. Synthetic beverages, syrups and sharbats;
2. Vinegar, whether brewed or synthetic;
3. Pickles;
4. Dehydrated fruits and vegetables;
5. Squashes, crushes, cordial, barley water, barreled juice and ready-to-serve beverage, fruit nector or any other beverages containing fruit juices or fruit pulp;
6. Jams, jellies and marmalades;
7. Tomato products, ketchup and sauce;
8. Preserved, candied and crystallised fruits and peels;
9. Chatneys;
10. Canned and bottled fruits, juices and pulp;
11. Canned and bottled vegetables;
12. Frozen fruits and Vegetables;
13. Aerated waters containing fruit juice and pulp;
14. Fruits cereal flakes; and
15. Any other unspecified items relating to fruits or vegetables.

(iv) 'Licence Holder' means the person or body of persons who have been granted licence under the Fruit Products Order, 1955.

3. Basis of Inspection.—Inspection of the Fruit Products shall be carried out with a view to seeing that the same conform to the standard specifications recognised by the Central Government under Section 6 of the Act.

4. Procedure of Inspection.—(1) Fruit Products meant for export shall be processed and packed only by a licence holder;

(2) A licence holder intending to export Fruit Products shall give intimation in writing to the nearest office of the agency to enable it to inspect the same and draw samples for analysis in accordance with rule 3.

(3) The addresses of the offices of the Agency are as follows:

- (i) Office of the Deputy Director, Fruit & Vegetable Preservation, Jamnagar House, Block No. 11, New Delhi.
- (ii) Office of the Deputy Director, Fruit & Vegetable Preservation, 3rd Floor, New Marine Lines, Bombay.
- (iii) Office of the Deputy Director, Fruit & Vegetable Preservation, 8, Esplanade (East), Calcutta-69.
- (iv) Office of the Deputy Director, Fruit & Vegetable Preservation, Shastri Bhawan, 4th Floor, Haddows Road, Madras.

(4) Every intimation under sub-rules (2) shall be given—

(a) not less than 3 days before the samples are drawn for analysis at the headquarters of any office of the agency;

(b) not less than 10 days before the samples are drawn for analysis at other places which are not situated at the headquarters of any office of the agency.

(5) On receipt of the intimation referred to in sub-rule (4) the agency shall inspect consignments of fruit products with a view to check up that the same comply with the requirements of the recognised specifications referred to in rule 3.

(6) The agency on finding that the consignment conforms to the prescribed specifications, shall arrange to issue the inspection certificate for the consignments tendered for inspection under sub-rule (4) :

Provided that if the agency is not so satisfied it shall refuse to issue the inspection certificate and convey the fact in writing not later than 10 days from the date of receipt of intimation for inspection to the licence holder giving the reasons therefor.

5. Places of Inspection.—(1) Inspection for the purposes of these rules shall be carried out at the authorised premises of the licence holder or an approved store or godown of the licence holder; (2) Check sampling of the product may be done at any point before export.

6. Re-examination of the test or check sample—If the licence holder is not satisfied with the results of examination by the agency, he shall be entitled to request the agency in writing to arrange for re-examination of the consignment and one more test sample or check sample shall thereafter be drawn and tested.

(2) The result of analysis under sub-rule (1) shall be arranged with those of the previous samples and the average result shall be taken for determining the quality of the consignment.

7. Appeal—(1) Any person aggrieved by the refusal of the agency to issue an inspection certificate under sub-rule (6) of rule 4 may within ten days of the receipt of the communication of such refusal by him prefer an appeal to a Panel of Experts consisting of not less than three but not more than seven persons appointed for the purpose by the Central Government.

(2) At least two thirds of the total membership of the panel of experts shall consist of non-officials.

(3) The quorum for the panel shall be three.

(4) The appeal shall be disposed off within 15 days of its receipt.

[No. 6/2/77-EI&EP]

सां. भा. 1422.—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) को धारा 7 द्वारा दत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रूपि तथा सिचाई मंत्रालय (खाद्य विभाग) में फल तथा सब्जी परिवर्धन निदेशक के कार्यालय को, निर्यात से पूर्व फल उत्पादकों के क्वालिटी नियंत्रण तथा निरीक्षण के लिए अधि-करण के रूप में मान्यता देती है।

स्पष्टीकरण :—इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए 'फल उत्पाद' से अभिप्रेत है :—

1. कृत्रिम पेय सिरप और शरबत ;
2. सिरका, चाहे तैयार किया हुआ हो या कृत्रिम ;
3. अचार ;

4. निर्जलित फल तथा सब्जियाँ ;

5. लकड़ी, धान, फाड़ियल, जो का पानी, बैरल रस तथा तुरन्त उपयोक्त योग्य फलों के रस या फलों के गूदे वाले अन्य पेय ;

6. जैम, जेली तथा मुरब्जे ;

7. टमाटर उत्पाद चटनी तथा सॉस ;

8. परिवर्धित, पैक किए हुए और क्रिस्टल किए हुए फल तथा छिनके ;

9. चटनियाँ ;

10. डिब्बे तथा बोतल में बंद फल, रस तथा गूदा ;

11. डिब्बे तथा बोतल में बंद सब्जियाँ ;

12. प्रशोधित फल तथा सब्जियाँ ;

13. फलों के रस गूदे वाला वाकित जल ;

14. फल मसूर फलसस तथा ;

15. फल तथा सब्जियों के सम्बन्धित भविष्यनिर्दिष्ट कोई अन्य वस्तुएं।

[सं. 6/2/77-नि. नि. तथा नि. उ.]

सी. बी. कुक्रेती, संयुक्त निदेशक

S.O. 1422.—In exercise of the powers conferred by section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby recognises the office of the Director of Fruit and Vegetable Preservation in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of Food) as the Agency for Quality Control and Inspection of Fruit Products prior to export.

Explanation :—For the purpose of this notification 'Fruit products' means:

1. Synthetic beverages, syrups and sharbats ;
2. Vinegar, whether brewed or synthetic ;
3. Pickles ;
4. Dehydrated fruits and vegetables ;
5. Squashes, crushes, cordial, barley water, barreled juice and ready-to-serve beverage, fruit nector or any other beverages containing fruit juice or fruit pulp ;
6. Jams, Jellies and marmalades ;
7. Tomato products, ketchup and sauce ;
8. Preserved, candied and crystallised fruits and peels ;
9. Chatneys ;
10. Canned and Bottled Fruits, Juice and pulp ;
11. Canned and bottled vegetables ;
12. Frozen fruits and vegetables ;
13. Aerated water containing fruit juice and pulp ;
14. Fruit cereal flakes ; and
15. Any other unspecified items relating to fruits or vegetables.

[No. 6/2/77-EI&EP]

C. B. KUKRETI, Jt. Director